

**समाहरणालय, जहानाबाद**

(जिला योजना कार्यालय)

**आदेश**

“मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत” श्री राहुल कुमार, माननीय स०वि०स०, घोषी विधान सभा, एवं श्री अनुज कुमार सिंह, माननीय स०वि०प०, द्वारा अनुशंसित एवं दिनांक 07.09.13 की जिला चयन समिति की बैठक से अनुमोदित (ज्ञापांक-1949/यो0दिनांक-10.10.2013) प्राथमिकता सूची की निम्नांकित ट्रॉसफॉर्म लगाने से संबंधित योजना का प्राक्कलन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद के पत्रांक 1189 दिनांक 23.10.13 से तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्राप्त हुआ है। तदालोक में तकनीकी स्वीकृति राशि के समतुल्य राशि पर (कॉलम 07 में अंकित) प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को नियुक्त किया जाता है। योजना का विवरण निम्नवत है:-

क्र०	प्रा०सूची क्र०	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	कार्यकारी एजेंसी	प्रशा० स्वी० की राशि	उपावर्तित राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14. (अनुज कुमार सिंह, स०वि०प०)	रतनी प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम-नोआवाँ में अखाड़ा पर सिर्फ 63 के०भी०ए० का नया ट्रॉसफार्मर लगाना।	रतनी-फरीदपुर	नोआवाँ	विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद।	210196	210196	15 दिन
2	9 (राहुल कुमार, स०वि०स०)	लटनपट्टी में डी०पी० के साथ एक 100 के०भी०ए० का ट्रॉसफार्मर लगाना।	काको	उतर सेरथु	तथैव	319180	319180	15 दिन
कुल:-						<b>529376</b>	<b>529376</b>	


(मो०-पाँच लाख उन्नतीस हजार तीन सौ छिहतर रूपया मात्र)

**योजना कार्यान्वयन की शर्तें :-**

कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है, कि उक्त योजनाओं का कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका के आलोक में कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्यतः करेंगे।


1. योजनाओं का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1780/यो०वि०दिनांक-03-05-13 (की छाया प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के आलोक में विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपरोक्त योजनाओं के सामने अंकित निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही योजना का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
3. कार्य से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के 05 वी तारीख तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्य स्थल पर मार्गनिर्देशिका के अनुसार “मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना” के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना से संबंधित बोर्ड लगायेंगे एवं ट्रॉसफार्मर के दोनो तरफ बड़े अक्षरों में संबंधित विधायक/पार्षद का नाम/मद का नाम/प्राक्कलित राशि अंकित करेंगे।
5. विभागीय निदेशानुसार योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन संबंधित क्षेत्र के माननीय स०वि०स०/स०वि०प० से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के लिए कार्यकारी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
7. कार्यकारी एजेंसी योजना पूर्ण कराने के बाद उसके रख-रखाव की सारी जिम्मेवारी सुनिश्चित करेंगे।
8. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संवेदक पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई संसूचित करेंगे।
9. योजना के कार्यान्वयन में प्रयुक्त सामग्रियों में यदि बिक्री कर देय हो तो उसे स्रोत पर ही कटौती कर उचित माध्यम से चालान के द्वारा निर्धारित शीर्ष में अचूक रूप से जमा करायेंगे।

10. कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्य प्रारंभ से पूर्व/मध्य में तथा कार्य समाप्ति के बाद रंगीन फोटोग्राफ जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सभी पूर्ण योजना का पूर्ण विवरण सहित कम्प्यूटरीकृत डॉकोमेन्टेशन तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि, अनरोक्त दोनों योजनाओं के लिए शत प्रतिशत राशि जो कॉलम 08 में अंकित है, कार्यकारी एजेंसी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद को South Bihar Power Distribution Co. Ltd. Deposit Work के नाम से डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद के कार्यालय में निश्चित रूप से हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला योजना पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

संचिका सं XVI-33/13 ज्ञापांक 2165 / यो0, जहानाबाद, दिनांक 16-11-13

- प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- श्री राहुल कुमार, माननीय स0वि0स0, घोषी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- श्री अनुज कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, रतनी-फरीदपुर/काको को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिला योजना पदाधिकारी,  
जहानाबाद।